बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
....

अधिसूचना

E-mail/Web

पटना, दिनांक– 27.4.18

अ0सू0सं0–01/स्था0–01/2017–......1957......../एम0 श्री मनोज अम्बष्ट, प्रभारी सहायक निदेषक, जिला खनन कार्यालय, पटना (सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्रभारी सहायक निदेषक, जिला खनन कार्यालय, गया) के विरूद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी प्रक्षेत्र, कोलकत्ता में दायर वाद सं0–O.A.No.24/2017EZ (उमेष प्रसाद सिंह बनाम् भारत सरकार) के अनुपालन में विभाग को जानबूझकर गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन देने, बंदोबस्तधारी के पक्ष में कार्य करने, सरकारी नियमो/निदेषों का उल्लघंन/ अनुपालन नहीं करने, एवं उदण्ड, अवज्ञापूर्ण आचरण करने का परिचय देने तथा सरकारी राजस्व को व्यापक क्षति करने संबंधी प्रतिवेदित 9 (नौ) आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1155/एम0, दिनांक–28.04.17 द्वारा आरोप–पत्र (प्रपत्र–'क') गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–तत्कालीन अपर सचिव–सह–निदेषक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त गठित समस्त आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–2777/एम0, दिनांक–19.09.17 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा पूछते हुए 15 दिनों में अन्दर अभ्यावेदन/निवेदन माँगा गया। परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरापों में उन्हें कुछ नहीं कहना है अर्थात वे अपना दोष स्वीकार करते है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरांत श्री मनोज अम्बष्ट, प्रभारी सहायक निदेषक, जिला खनन कार्यालय, पटना के विरूद्ध बरती गई लापरवाही, नियमों की अवहेलना, अनुषासनहीनता एवं राजस्व क्षति से सिद्ध आरोपों में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (VIII) के अन्तर्गत ''निम्नतर कालमान वेतन में अवनति करते हुए भविष्य में प्रोन्नति के अयोग्य'' की षास्ति अधिरोपण का अंतिम निर्णय लिया गया। अधिरोपित शास्ति के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 7763/एम0 दिनांक 29.12.17, स्मार पत्र 634/एम0 दिनांक 31.01.18 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी।

4. ''निम्नतर कालमान वेतन में अवनति करते हुए भविष्य में प्रोन्नति के अयोग्य'' शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक 87/लो0से0आ0 दिनांक 11.04.2018 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करने का परामर्श अंकित किया गया है।

5. उपर्युक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है तथा नियमों की अवहेलना, अनुषासनहीनता एवं इनके कृत्य से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। श्री अम्बष्ट कर्तव्यहीनता, आदेश उल्लंघन तथा लापरवाही के दोषी हैं। अतः आयोग द्वारा संसूचित परामर्श से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (VIII) के अन्तर्गत

''निम्नतर कालमान वेतन में अवनति करते हुए भविष्य में प्रोन्नति के अयोग्य'' की षास्ति अधिरोपण का निर्णय लिया गया है।

6. अतः श्री मनोज अम्बष्ट, प्रभारी सहायक निदेषक, जिला खनन कार्यालय, पटना (सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्रभारी सहायक निदेषक, जिला खनन कार्यालय, गया) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (VIII) के अन्तर्गत ''निम्नतर कालमान वेतन में अवनति करते हुए भविष्य में प्रोन्नति के अयोग्य'' की षास्ति अधिरोपित की जाती है।

7. प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01 / स्था0–01 / 2017................................/एम0, पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 01 / स्था0–01 / 2017................................/एम0, पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 01 / स्था0–01 / 2017................................/एम0, पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि:-सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 01 / स्था0–01 / 2017................................/एम0, पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 87 दिनांक 11.04.18 के क्रम में सूचनार्थ। प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 01 / स्था0–01 / 2017................................/एम0, पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी/ खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक- 01 / स्था0–01 / 2017................................/एम0, पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपिः–श्री मनोज अम्बष्ट, प्रभारी सहायक निदेषक, जिला खनन कार्यालय, पटना (सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्रभारी सहायक निदेषक, जिला खनन कार्यालय, गया) खान एवं भूतत्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 01 / स्था0–01 / 2017.......1957............/एम0, पटना, दिनांक....27.4.18...

प्रतिलिपिः–आई0टी0, मैनेजर, खान एवं भूतत्व को (विभागीय बेवसाईट पर अपरलोड करने हेतु)/स्थापना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

27/4/18

सरकार के अवर सचिव।

27/4/18